



Neutral Citation No.-2026:AHC:129089

निर्णय 22.04.2026 को सुरक्षित

निर्णय 25.06.2026 को उद्घोषित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अन्तर्गत आवेदन संख्या- 31766/2025

उदित शुक्ला

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता: जगत नारायण मिश्रा, विराट

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शा.अधि., उमेश कुमार

न्यायालय संख्या-71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जगत नारायण मिश्रा, विपक्षी संख्या 2/पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश कुमार तथा राज्य-विपक्षी संख्या 1 के विद्वान अ.शा.अधि. श्री प्रशांत कुमार सिंह को सुना गया।
2. धारा 528 भा.ना.सु.सं. के अधीन वर्तमान आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 578/2024, धारा 69, 351(3), 352 भा.न्या.सं., थाना कल्याणपुर, जिला-कानपुर नगर में प्रस्तुत दिनांक 19.01.2025 के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आरोप-पत्र को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, कानपुर नगर के न्यायालय में लंबित है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि वर्तमान मामले की विपक्षी संख्या 2/पीड़िता द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसे मुकदमा अपराध संख्या 578/2024, धारा 69, 351(3), 352 भा.न्या.सं. के अधीन, थाना कल्याणपुर, कमिश्नरेट कानपुर नगर में, दिनांक 01.11.2021 से 17.12.2024 के मध्य कारित अभिकथित घटनाओं के संबंध में पंजीकृत किया गया था। अभियोक्त्री ने प्र.सू.रि. में यह आरोप लगाया कि वह एक कोचिंग केंद्र में पढ़ाई कर रही थी तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। आवेदक भी उसी कोचिंग केंद्र में पढ़ाई कर रहा था। उसने आगे आरोप लगाया कि आवेदक ने उससे स्नेह विकसित किया तथा विवाह का आश्वासन दिया, जो उसने अपने माता-पिता को बताया तथा उनकी सहमति प्राप्त की। आवेदक अक्सर पीड़िता के निवास पर जाता था तथा उसे बाहर घुमाने ले जाता था। यह भी आरोप है कि आवेदक ने विवाह का वादा किया तथा वर्ष 2021 से आज तक (अर्थात् प्र.सू.रि. दर्ज कराने तक) विवाह की आड़ में पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आवेदक को जुलाई, 2024 माह में भारतीय स्टेट बैंक में रोजगार मिला तथा पीड़िता के परिवार के सदस्यों द्वारा विवाह हेतु बार-बार अनुरोध किया गया, तथा आवेदक ने इसे पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। आवेदक के पिता ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया तथा उन्हें गंभीर परिणामों की धमकी दी। आवेदक तथा उसके पिता को प्र.सू.रि. में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया।
4. अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण आरंभ किया तथा पीड़िता का बयान धारा 180 भा.ना.सु.सं. के अधीन दर्ज किया, जिसमें उसने स्वयं को लगभग 25 वर्ष की आयु का दावा किया तथा प्र.सू.रि. में लगाए गए आरोपों को पीड़िता द्वारा दोहराया गया। तथापि, उसने कुछ नए तथ्य जोड़े तथा कहा कि दिनांक 16.01.2021 को,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदक पहली बार उसके घर आया तथा विवाह का वादा किया। दिनांक 22/23 मार्च को, आवेदक ने उसके साथ पहली बार शारीरिक संबंध स्थापित किए। तत्पश्चात, आवेदक उसके घर आना आरंभ किया, वे कई अवसरों पर संबंधों में लगे रहे। वर्ष 2023 में, आवेदक प्रारंभिक व मुख्य दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ, यह वादा करते हुए कि वह अपने पद पर शामिल होने के पश्चात उससे विवाह करेगा। पीड़िता बीमार हो गई तथा आई.सी.यू. में भर्ती हुई जहां आवेदक ने उससे मुलाकात की तथा विवाह के अपने वादे को दोहराया। पीड़िता तथा आवेदक ने अपने संबंध के दौरान ओयो होटल गए। कुछ समय पश्चात, आवेदक ने कहा कि उसके पिता विवाह हेतु तैयार नहीं हैं। तत्पश्चात दिनांक 06.10.2024 को, जब पीड़िता के माता-पिता ने आवेदक के घर गए, तो उसके पिता ने उनके विवाह पर सहमत होने से इनकार कर दिया। दिनांक 12.10.2024 को, आवेदक तथा पीड़िता के विवाह के संबंध में और चर्चा हुई। तथापि, आवेदक के पिता ने यह कहते हुए सहमति देने से इनकार कर दिया कि उनके पुत्र का पीड़िता से विवाह कभी संपन्न नहीं होगा।

5. पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 18.12.2024 को तैयार की गई, परंतु उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। पीड़िता को धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अधीन उसका बयान दर्ज करने हेतु दिनांक 20.12.2024 को विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने स्वयं को लगभग 28 वर्ष की आयु का दावा किया। उसने प्र.सू.रि. में आरोपों को दोहराया, यह विस्तार से बताते हुए कि आवेदक ने विवाह के गलत वादे पर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया था। आवेदक के परिवार के सदस्यों ने आवेदक तथा पीड़िता के मध्य विवाह हेतु सहमति देने से इनकार कर दिया। अन्वेषण अधिकारी ने पीड़िता के माता-पिता के बयान दर्ज किए तथा उन्होंने भी प्र.सू.रि. के संस्करण को दोहराया। तथापि, कुछ स्वतंत्र साक्षियों ने बताया कि दिनांक 09.11.2024 को, अभिकथित घटना के स्थान पर गाली-गलौज अथवा धमकी की कोई

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



घटना नहीं हुई। साक्षियों ने आगे बताया कि आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अपमानजनक भाषा व शारीरिक हमले से संबंधित सभी आरोप पूर्णतः गलत व निराधार थे। आवेदक के पिता के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, तथापि, आवेदक के विरुद्ध अन्वेषण अधिकारी द्वारा धारा 69, 351(3), 352 भा.न्या.सं. के अधीन दिनांक 19.01.2025 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 02.06.2025 को अपराध का संज्ञान लिया।

6. आवेदक-अभियुक्त के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि सूचनादाता/पीड़िता द्वारा एक गलत व झूठी प्र.सू.रि. दर्ज कराई गई, जिसमें उसने दावा किया कि उसके साथ विवाह के गलत वादे पर बलात्संग किया गया। पीड़िता का यह स्वीकृत मामला है कि वह विगत तीन वर्षों से आवेदक के संपर्क में थी, जो यह पुष्ट करता है कि प्र.सू.रि. एक टूटे हुए संबंध का परिणाम है। प्र.सू.रि. तब दर्ज कराई गई जब चीजें उनके मध्य ठीक नहीं हुईं तथा आवेदक के पिता ने पीड़िता के परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पीड़िता का संस्करण प्र.सू.रि. में तथा अन्वेषण अधिकारी को धारा 180 भा.ना.सु.सं. के अधीन तथा मजिस्ट्रेट को धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अधीन बयान दर्ज करते समय दिए गए उसके बयानों में उसके अभिकथनों में बदलता रहा।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं देखी गई तथा वह एक सहमति-आधारित संबंध में थी। उसने स्वीकार किया कि वह लगभग 28 वर्ष की आयु की एक वयस्क लड़की थी। जब उनके मध्य संबंध खट्टे हो गए, तो पीड़िता द्वारा छिपे हुए उद्देश्यों के कारण प्र.सू.रि. दर्ज कराई गई। आवेदक ने किसी भी समय, कोई विवाह का वादा नहीं किया अथवा किसी अवैध गतिविधि में संलग्न नहीं हुआ। पीड़िता के बयानों के अनुसार, आवेदक ने कभी भी पीड़िता को उसके निवास

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पर अथवा आवेदक के किराए के आवास पर अथवा किसी होटल में शारीरिक संबंध बनाने हेतु दबाव नहीं डाला।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता ने आवेदक की बेरोजगारी की अवधि के दौरान अथवा दिनांक 22/23.03.2021 को अभिकथित घटना की पहली तिथि के पश्चात आवेदक के विरुद्ध कोई परिवाद दर्ज नहीं कराया। एक बार आवेदक को भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में रोजगार प्राप्त होने पर, पीड़िता उससे विवाह करने हेतु अनुचित दबाव डालना आरंभ कर दी। जब प्रस्ताव आवेदक के पिता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो पीड़िता ने प्र.सू.रि. दर्ज कराई। आवेदक को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2025 को जमानत प्रदान की गई थी। पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई तथा स्वतंत्र साक्षियों के बयान, स्पष्ट रूप से, सूचनादाता द्वारा दिए गए संस्करण का खंडन करते हैं तथा प्र.सू.रि. को अविश्वसनीय बनाते हैं। पीड़िता वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक एक सहमति-आधारित संबंध में रही, परंतु जब चीजें ठीक नहीं हुईं तथा विवाह हेतु प्रस्ताव आवेदक के पिता द्वारा अस्वीकृत किया गया, तो पीड़िता ने एक गलत प्र.सू.रि. दर्ज कराई। पीड़िता द्वारा अपने प्रतिशपथ पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ्स से यह स्पष्ट है कि वह एक सहमति-आधारित संबंध में थी तथा आवेदक द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है।

9. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए, आवेदक के विरुद्ध धारा 69, 351(3), 352 भा.न्या.सं. के अधीन कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता। अस्पष्ट, विलंबित तथा विरोधाभासी आरोपों पर आधारित, अभियोजन का जारी रहना, प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग गठित करता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है तथा इस न्यायालय की धारा 528 भा.ना.सु.सं. के अधीन अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में निरस्त किए जाने योग्य है।

10. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अ.शा.अधि. श्री प्रशांत कुमार सिंह ने प्रबल रूप से विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि आवेदक ने विगत तीन वर्षों में पीड़िता का लगातार शोषण किया है। अपनी नौकरी सुरक्षित करने के पश्चात, आवेदक ने विवाह से इनकार कर दिया तथा इस प्रकार, वह संबंध के दौरान बलात्संग का अपराध कारित करता रहा है क्योंकि उसने भ्रांति के अधीन पीड़िता की सहमति प्राप्त की। आवेदक तथा पीड़िता के मध्य शारीरिक निकटता विकसित हुई जो प्रतिशपथ पत्र के साथ संलग्न आवेदक तथा पीड़िता के फोटोग्राफ्स से स्पष्ट है। विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने विवाह का गलत आश्वासन तब दिया जब वह बेरोजगार था, परंतु एक बार उसे नौकरी मिल जाने पर, उसने पीड़िता की अनदेखी की तथा उससे बात करना बंद कर दिया। आवेदक के पिता ने पीड़िता के पिता द्वारा किए गए विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा इस प्रकार पीड़िता के अनुसार, आवेदक विवाह के गलत वादे पर संबंध के दौरान बलात्संग कारित करता रहा है। प्र.सू.रि. तब दर्ज कराई गई जब पीड़िता को पता चला कि आवेदक उससे विवाह नहीं करेगा। आवेदक ने पीड़िता के जीवन को बर्बाद कर दिया है तथा विवाह के गलत वादे पर बलात्संग कारित किया है। जब पीड़िता तथा उसके परिवार के सदस्य आवेदक तथा उसके परिवार के सदस्यों से मिले, तो उन्हें शारीरिक रूप से गाली दी गई तथा गंभीर परिणामों की धमकी दी गई। अन्वेषण अधिकारी ने आरोप-पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री पाई है तथा प्र.सू.रि. तथा धारा 180 भा.ना.सु.सं. व 183 भा.ना.सु.सं. के अधीन दर्ज पीड़िता के बयानों के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है, अतः, वर्तमान आवेदन में कोई गुण-दोष नहीं है तथा यह खारिज किए जाने योग्य है।

11. मैंने पक्षकारों के परस्पर तर्कों को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।
12. वर्तमान आवेदन में विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा एकत्र अभिलेख पर सामग्री, पीड़िता के बयानों सहित, आवेदक के विरुद्ध बलात्संग का प्रथमदृष्ट्या मामला बनाती है, अथवा क्या कार्यवाही जारी रहना विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा।
13. प्र.सू.रि. के अवलोकन से पता चलता है कि पीड़िता एक कोचिंग केंद्र में आवेदक के संपर्क में आई तथा दोनों ने एक-दूसरे के प्रति पारस्परिक स्नेह व लगाव विकसित किया तथा तत्पश्चात एक-दूसरे के संपर्क में बने रहे। संस्करण के अनुसार, आवेदक ने पीड़िता से वादा किया था कि वह उससे विवाह करेगा, परंतु बाद में उसने उक्त वादा तोड़ दिया। परवर्ती आरोप यह है कि आवेदक विवाह के गलत वादे पर बलात्संग कारित करता रहा।
14. पीड़िता एक वयस्क लड़की है तथा उसने धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अधीन दर्ज अपने बयान में स्वयं को लगभग 28 वर्ष की आयु का दावा किया। यह ऐसा मामला नहीं है जहां पीड़िता अपरिपक्व आयु की थी जो अपने कल्याण की दूरदृष्टि नहीं रख सकती थी तथा सही निर्णय नहीं ले सकती थी। वह नैतिक व अनैतिक कृत्यों के परिणामों को समझने हेतु पर्याप्त परिपक्व व बुद्धिमान थी, जिनके लिए वह अपने संबंध की निरंतरता के दौरान सहमत हुई। यह न्यायालय पाता है कि, किसी भी कल्पना से, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोक्त्री ने तथ्य की भ्रांति के अधीन यौन संबंध हेतु सहमति दी थी। वर्ष 2021 तथा वर्ष 2024 की अवधि के दौरान, आवेदक तथा पीड़िता ने कई अवसरों पर यौन संबंध स्थापित किए, परंतु पीड़िता द्वारा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कभी कोई परिवार दर्ज नहीं कराया गया। जब विवाह प्रस्ताव आवेदक के पिता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, तथा पीड़िता के माता-पिता के साथ दुर्यवहार किया, तत्पश्चात्, पीड़िता द्वारा आवेदक तथा उसके पिता के विरुद्ध प्र.सू.रि. दर्ज कराई गई।

15. आवेदक ने विद्वान विचारण न्यायालय से जमानत आदेश प्राप्त किया है तथा अब उसने अपने विरुद्ध धारा 69, 351(3), 352 भा.न्या.सं. के अधीन दाखिल दिनांक 19.01.2025 के आरोप-पत्र की वैधता व औचित्य को चुनौती दी है।
16. सर्वप्रथम, यह न्यायालय जांच करेगा कि क्या आरोप-पत्र भा.ना.सु.सं. की धारा 528 अथवा दं.प्र.सं. की धारा 482, यथास्थिति, के अधीन निरस्त किया जा सकता है।
17. आपराधिक कार्यवाही निरस्त किए जाने के बिंदु पर विधिक स्थिति सुस्थापित है कि परिवार, प्र.सू.रि. अथवा आरोप-पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सावधानी से तथा केवल अपवादात्मक मामलों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तथापि, जहां प्र.सू.रि. अथवा परिवार में लगाए गए आरोप तथा अभिलेख पर सामग्री, यहां तक कि यदि इन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाए तथा संपूर्ण रूप में स्वीकार किया जाए, तो प्रथमदृष्ट्या कोई अपराध गठित नहीं करते अथवा अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते, तो दं.प्र.सं. की धारा 482/528 भा.ना.सु.सं. के अधीन अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में आरोप-पत्र निरस्त किया जा सकता है। **AIR 1992 SC 605 हरियाणा राज्य व अन्य बनाम च. भजन लाल** निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जिनके अधीन प्र.सू.रि. अथवा कार्यवाही निरस्त की जा सकती है परंतु सावधान किया है कि प्र.सू.रि. अथवा कार्यवाही निरस्त करने की शक्ति सावधानी से तथा वह भी दुर्लभतम मामलों में प्रयोग की जानी चाहिए। दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में किए गए अभिकथन, यदि उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए, तो भी प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध या मामला नहीं बनाते।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, संहिता की धारा 156(1) के अधीन पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना को न्यायोचित ठहराने वाला संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं करती, सिवाय संहिता की धारा 156(2) की परिधि में मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन।

(3) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में किए गए अविवादित अभिकथन तथा उसके समर्थन में एकत्रित साक्ष्य किसी अपराध का कारित होना प्रकट नहीं करते और अभियुक्त के विरुद्ध मामला नहीं बनाते।

(4) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए अभिकथन संज्ञेय अपराध नहीं बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध गठित करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा कोई विवेचना अनुज्ञेय नहीं है।

(5) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में किए गए अभिकथन इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभाव्य हैं कि इनके आधार पर कोई विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता के या संबंधित अधिनियम (जिसके अधीन आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है) के किसी प्रावधान में कार्यवाही के संस्थापन और निरंतरता पर कोई स्पष्ट विधिक वर्जन

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अंतर्निहित है, अथवा जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में व्यथित पक्षकार की व्यथा के प्रभावी निवारण हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां कोई आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से युक्त है और/अथवा जहां कार्यवाही अभियुक्त से बदला लेने के प्रयोजन से किसी अंतर्निहित उद्देश्य से तथा निजी एवं व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे कष्ट पहुंचाने के दृष्टिकोण से दुर्भावनापूर्ण ढंग से संस्थित की गई है।"

18. आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता व अन्य, 2009 (1) **SCC** 516 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार धारित किया है:-

"(1) उच्च न्यायालय सामान्यतः अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किसी आपराधिक कार्यवाही, विशेष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए नहीं करेगा, जब तक कि उसमें अंतर्विष्ट अभिकथन, उन्हें अंकित मूल्य पर तथा पूर्णतः सही मानकर भी, कोई संज्ञेय अपराध प्रकट न करते हों।

(2) उपरोक्त प्रयोजन हेतु, न्यायालय, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, प्रतिरक्षा द्वारा उद्धृत किसी दस्तावेज पर विचार नहीं करेगा।

(3) ऐसी शक्ति का प्रयोग अत्यंत संयत रूप से किया जाना चाहिए। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए अभिकथन किसी अपराध का कारित होना प्रकट करते हैं, तो न्यायालय उससे आगे बढ़कर अभियुक्त के पक्ष में मेन्स रीआ या एक्टस रीअस का अभाव अभिनिर्धारित करने वाला आदेश पारित नहीं करेगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(4) यदि अभिकथन किसी सिविल विवाद को प्रकट करता है, तो यह स्वयं में आपराधिक कार्यवाही को जारी न रखने का आधार नहीं हो सकता।"

19. कर्नाटक राज्य बनाम एम. देवेंद्रप्पा [कर्नाटक राज्य बनाम एम. देवेंद्रप्पा, (2002) 3 SCC 89; 2002 SCC (Cri.) 539] में, यह धारित किया गया था कि धारा 482 दं.प्र.सं. के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपील अथवा पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। धारा के अधीन अंतर्निहित क्षेत्राधिकार, यद्यपि व्यापक है, सावधानी से, सतर्कता के साथ तथा प्रावधान में ही विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराए जाने पर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यह आगे धारित किया गया है कि:-

"6. ...न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होने वाली किसी भी कार्यवाही को अनुमति देना अन्याय के परिणामस्वरूप होगा तथा न्याय की प्रोन्नति को रोकेंगा। शक्तियों के प्रयोग में न्यायालय किसी कार्यवाही को निरस्त करना उचित ठहराया जाएगा यदि वह पाता है कि इसका आरंभ/जारी रहना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है अथवा इन कार्यवाहियों को निरस्त करना अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। जब परिवाद द्वारा कोई अपराध प्रकट नहीं होता, तो न्यायालय तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकता है। जब किसी परिवाद को निरस्त करने की मांग की जाती है, तो यह देखने हेतु कि परिवादी ने क्या अभिकथित किया है तथा क्या कोई अपराध बनता है, यहां तक कि यदि आरोपों को संपूर्ण रूप में स्वीकार किया जाए, सामग्री को देखना अनुमेय है।"

20. विनीत कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2017) 13 SCC 369 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है:-

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"41. उच्च न्यायालय को धारा 482 दं.प्र.सं. के अधीन प्रदत्त अंतर्निहित शक्ति न्याय की उन्नति के उद्देश्य व प्रयोजन के साथ है। ऐसे मामले में जहां न्यायालय की गंभीर प्रक्रिया को किसी व्यक्ति द्वारा कुछ अप्रत्यक्ष आशय के साथ दुरुपयोग करने की कोशिश की जाती है, तो न्यायालय को उस प्रयास को प्रारंभिक अवस्था में ही विफल करना होगा। ...न्यायिक प्रक्रिया एक गंभीर कार्यवाही है जिसे उत्पीड़न अथवा परेशान करने का साधन बनाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब यह इंगित करने वाली सामग्री हो कि आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भविना से युक्त है तथा कार्यवाही दुर्भविनापूर्ण ढंग से किसी अप्रत्यक्ष आशय के साथ संस्थित की गई है, तो उच्च न्यायालय धारा 482 दं.प्र.सं. के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में कार्यवाही को निरस्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा। ...वर्तमान एक उपयुक्त मामला है जहां उच्च न्यायालय को धारा 482 दं.प्र.सं. के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए था तथा आपराधिक कार्यवाही निरस्त करनी चाहिए थी।"

(महत्व प्रदत्त)

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है कि धारा 482 दं.प्र.सं. अथवा 528 भा.ना.सु.सं. के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं, परंतु सावधानी से तथा दुर्लभतम एवं उपयुक्त मामलों में ही प्रयोग की जानी चाहिए। यह शक्ति मनमौजी व सनक के अनुसार कार्य करने हेतु मनमानी क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती तथा इसका उपयोग विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने तथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने हेतु किया जाता है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



22. यह परीक्षित करने हेतु कि क्या वर्तमान मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है, वर्तमान मामले के तथ्यों तथा इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार करना उपयुक्त होगा।

23. **महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य व एक अन्य, (2024) 11 Supreme Court Cases 398**

में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया है कि जहां किसी महिला द्वारा जानबूझकर एक लंबी अवधि तक शारीरिक संबंध बनाए रखा जाता है, तो निश्चितता से यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध विशुद्ध रूप से विवाह के अभिकथित वादे के कारण था। एक महिला के पास विवाह के वादे के अतिरिक्त, शारीरिक संबंध रखने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि पुरुष साथी के प्रति व्यक्तिगत पसंद। **महेश दामू खरे (उपरोक्त)** के प्रासंगिक प्रस्तर उद्धृत हैं:-

“27. हमारे विचार में, यदि किसी पुरुष पर विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया जाता है और यदि उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना है, तो ऐसा कोई भी शारीरिक संबंध सीधे तौर पर उस झूठे वादे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, न कि अन्य परिस्थितियों या विचारों से प्रभावित होना चाहिए। किसी महिला के पास पुरुष द्वारा किए गए विवाह के वादे के अतिरिक्त भी शारीरिक संबंध बनाने के कारण हो सकते हैं, जैसे कि औपचारिक वैवाहिक संबंधों पर जोर दिए बिना पुरुष साथी के प्रति व्यक्तिगत लगाव।

28. अतः, जहाँ किसी महिला द्वारा जानबूझकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखा जाता है, वहाँ यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध केवल अपीलकर्ता द्वारा उससे विवाह करने के कथित वादे के कारण ही था। अतः, जब तक यह न दिखाया जाए कि शारीरिक संबंध केवल विवाह के वादे के कारण था, जिससे शारीरिक संबंध के साथ उसका सीधा संबंध हो,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बिना किसी अन्य विचार से प्रभावित हुए, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि तथ्य के भ्रम के अंतर्गत सहमति दूषित हुई थी।”

24. प्रशांत बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, (2025) 5 Supreme Court Cases 764 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेक्षित किया है कि यह अकल्पनीय है कि परिवादिनी अपने भाग पर स्वैच्छिक सहमति की अनुपस्थिति में अपीलकर्ता से मिलना जारी रखेगी अथवा उसके साथ दीर्घकालिक संबंध अथवा शारीरिक संबंध बनाए रखेगी। प्रशांत (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर उद्धृत हैं:-

“18. यह अकल्पनीय है कि शिकायतकर्ता, अपनी स्वैच्छिक सहमति के अभाव में, अपीलकर्ता से मिलना जारी रखती या उसके साथ लंबे समय तक संबंध या शारीरिक संबंध बनाए रखती। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता के लिए शिकायतकर्ता का आवासीय पता, जैसा कि प्राथमिकी में उल्लिखित है, पता लगा पाना असंभावित होता, जब तक कि यह जानकारी स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा स्वेच्छा से प्रदान न की गई हो।

19. यह भी उजागर हुआ है कि, एक समय पर, दोनों पक्षों का एक-दूसरे से विवाह करने का इरादा था, यद्यपि यह योजना अंततः साकार नहीं हो पाई। अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता एक सहमतिपूर्ण संबंध में थे। वे दोनों शिक्षित वयस्क हैं। शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के पश्चात वर्ष 2020 में किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया। इसी प्रकार, अपीलकर्ता का विवाह भी वर्ष 2019 में हो गया था। संभवतः वर्ष 2019 में अपीलकर्ता के विवाह के कारण ही शिकायतकर्ता ने उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई, क्योंकि वे तब तक एक सहमतिपूर्ण संबंध में थे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20. हमारे विचार में, प्राथमिकी और आरोप-पत्र में लगाए गए आरोपों को उनके वर्तमान स्वरूप में लेते हुए, धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं. के तहत अपराध के महत्वपूर्ण तत्व अनुपस्थित हैं। प्राथमिकी और शिकायतकर्ता के धारा 164 दं.प्र.सं. के अधीन दिए गए बयान की समीक्षा से यह प्रकट नहीं होता कि वर्ष 2017 में उनके संबंध के आरंभ में विवाह का कोई वादा किया गया था। अतः, अभियोजन पक्ष के मामले को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार किए जाने पर भी, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता की ओर से विवाह के किसी आश्वासन के आधार पर ही उसके साथ यौन संबंध बनाया। पक्षों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और साथ ही सहमतिपूर्ण प्रकृति का था। सहमति देने वाले जोड़े के बीच संबंध का महज टूटना आपराधिक कार्यवाही आरंभ किए जाने का परिणाम नहीं हो सकता। जो प्रारंभिक चरणों में पक्षों के बीच एक सहमतिपूर्ण संबंध था, उसे आपराधिकता का रंग नहीं दिया जा सकता जब उक्त संबंध वैवाहिक संबंध में परिणत नहीं होता। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्ष अब किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित हैं और अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। अतः, हमारे विचार में, वर्तमान मामले में अभियोजन की निरंतरता विधि की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगी। अतः, अभियोजन को जारी रखने से कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा।”

25. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य व एक अन्य, 2025**

SCC OnLine SC 2528 में प्रेक्षित किया है कि कई अवसरों पर, इस चिंताजनक प्रवृत्ति को नोट किया गया है जहां विफल अथवा टूटे हुए संबंधों को अपराधीकरण का रंग दिया जाता है। बलात्संग का अपराध, जो सबसे गंभीर प्रकार का है, केवल उन मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहां वास्तविक यौन हिंसा, दबाव, अथवा स्वतंत्र सहमति की अनुपस्थिति विद्यमान हो। हर खट्टे संबंध को बलात्संग के अपराध में परिवर्तित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करना न केवल अपराध की गंभीरता को तुच्छ बनाता है बल्कि अभियुक्त पर अमिट कलंक तथा गंभीर अन्याय भी कारित करता है। समाधान (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर उद्धृत हैं:-

“28. हम पाते हैं कि वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जहाँ अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 को केवल शारीरिक सुख के लिए लुभाया हो और फिर गायब हो गया हो। यह संबंध तीन लंबे वर्षों की अवधि तक जारी रहा, जो कि एक पर्याप्त समयावधि है। वे घनिष्ठ और भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। ऐसे मामलों में, एक कार्यरत संबंध के दौरान घटित शारीरिक अंतरंगता को केवल इसलिए पूर्वव्यापी रूप से बलात्संग के अपराध की घटना करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह संबंध विवाह में परिणत होने में असफल रहा।

29. इस न्यायालय ने कई अवसरों पर इस विचलित करने वाली प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है जिसके अंतर्गत असफल या टूटे हुए संबंधों को आपराधिकता का रंग दे दिया जाता है। बलात्संग का अपराध, जो सबसे गंभीर प्रकृति का होने के कारण, केवल उन्हीं मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहाँ वास्तविक यौन हिंसा, दबाव, या स्वतंत्र सहमति का अभाव विद्यमान हो। प्रत्येक बिगड़े हुए संबंध को बलात्संग के अपराध में परिवर्तित करना न केवल इस अपराध की गंभीरता को तुच्छ बनाता है, बल्कि अभियुक्त पर एक अमिट कलंक और घोर अन्याय भी थोपता है। ऐसे उदाहरण मात्र व्यक्तिगत मतभेद के दायरे से आगे बढ़ जाते हैं। इस संबंध में आपराधिक न्याय तंत्र का दुरुपयोग गहन चिंता का विषय है और इसकी निंदा किया जाना आवश्यक है।”

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रजनीश सिंह उर्फ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य, 2025

(4) SCC 197 में धारित किया है कि जहां एक महिला स्वेच्छा से, इसकी प्रकृति से पूर्णतः अवगत होकर,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एक दीर्घकालिक संबंध में संलग्न होती है, तथा इस बात का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि ऐसा संबंध तथ्य की भ्रांति अथवा प्रारंभ से बुरे विश्वास में किए गए विवाह के गलत वादे से प्रेरित था, तो पुरुष को धारा 376 भा.दं.सं. के अधीन बलात्संग का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। निर्णय के प्रासंगिक अंश उद्धृत हैं:-

“33. इसमें कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 2006 से शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता अलग-अलग शहरों में रह रहे थे। शिकायतकर्ता एक शिक्षित महिला हैं और उस पर ऐसा कोई दबाव नहीं था जो उसे अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस शिकायत दर्ज कराने से रोक सकता, यदि उसे यह प्रतीत होता कि यौन संबंध दबाव में या विवाह के झूठे आश्वासन के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे थे। कई अवसरों पर, उसने स्वयं को अपीलकर्ता की पत्नी के रूप में भी प्रस्तुत किया, जिससे यह आरोप निराधार हो जाता है कि अपीलकर्ता का आशय संबंध के आरंभ से ही उसे धोखा देने का था।

34. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं रह सकते कि अधिकांशतः शिकायतकर्ता ही अपीलकर्ता से उसके पदस्थापन स्थान पर मिलने के लिए यात्रा किया करती थी। अतः, हम इस बात से आश्चस्त हैं कि शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच संबंध सहमतिपूर्ण था, जिसमें किसी भी प्रकार के छल या भ्रम का तत्व विद्यमान नहीं था।

35. इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता द्वारा वन स्टॉप सेंटर, ललितपुर में दिनांक 23 मार्च, 2022 को दायर किए गए आवेदन से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि वह वर्ष 2006 से अपीलकर्ता के साथ एक सहमतिपूर्ण संबंध में थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि जब उसने यह प्रस्ताव रखा कि उन्हें विवाह कर साथ रहना चाहिए, तो अपीलकर्ता ने उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया और उसकी पिटाई की। यदि इस आरोप में तनिक भी सत्यता होती, तो इस घटना के तुरंत पश्चात ही

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्राथमिकी दर्ज करा दी जानी चाहिए थी। तथापि, यह तभी हुआ जब शिकायतकर्ता को यह ज्ञात हुआ कि अपीलकर्ता किसी अन्य महिला से विवाह करने जा रहा है, तब उसने उसके विवाह को रोकने के प्रयास में उपरोक्त शिकायत वन स्टॉप सेंटर में दर्ज कराई, जिसमें उसने यह भी स्वीकार किया कि वह भी अपीलकर्ता के समान ही दोषी है और इसलिए, उसका विवाह रोका जाना चाहिए।

36. इसके अतिरिक्त, धारा 161 दं.प्र.सं. के अधीन शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उसे अपीलकर्ता और नम्रता के बीच संबंधों के विषय में वर्ष 2020-2021 में ज्ञात हुआ। अतः, एक बार जब शिकायतकर्ता को यह ज्ञात हो गया कि अपीलकर्ता ने उससे संबंध तोड़ लिए हैं और किसी अन्य महिला के साथ संबंध में हैं, तो उसके पास प्राथमिकी दर्ज कराने से रुकने का कोई कारण नहीं रह गया था।

.....

39. अतः, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त बलात्संग के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि पीड़िता ने स्वेच्छा से यौन संबंध बनाए रखने हेतु सहमति दी हो। न्यायालय ने यह भी अभिस्वीकार किया है कि एक अभियोक्त्री अभियुक्त के प्रति अपने प्रेम और आवेग के कारण यौन संभोग करने के लिए सहमत हो सकती है।”

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिव शंकर बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 18 SCC 204 में आपराधिक कार्यवाही इस आधार पर निरस्त की थी कि आठ वर्षों तक चले संबंध के दौरान यौन संभोग को "बलात्संग" मानना कठिन है, विशेषतः जब परिवादिनी ने स्वयं यह आरोप लगाया था कि वे पति-पत्नी के रूप में साथ रहे। शिव शंकर (उपरोक्त) का प्रासंगिक अंश उद्धृत है:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



“4. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को बनाए रखना कठिन है, जिसने संभवतः शिकायतकर्ता से विवाह का झूठा वादा किया हो। तथापि, आठ वर्षों तक चले संबंध के दौरान हुए यौन संभोग को "बलात्संग" मानना कठिन है, विशेष रूप से तब जब शिकायतकर्ता के अपने ही आरोप के अनुसार वे पति-पत्नी के रूप में साथ रहते थे।”

(महत्व प्रदत्त)

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नईम अहमद बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2023) 15

Supreme Court Cases 385 में धारित किया है कि अभियोक्त्री ने भी अभियुक्त के साथ यौन संबंध हेतु सहमति दी थी, विवाह के आश्वासन पर। अभियोक्त्री, जो स्वयं तीन बच्चों वाली एक विवाहित महिला थी, ने आरोप दर्ज कराने तक, कम से कम लगभग पांच वर्षों तक ऐसा संबंध जारी रखा। ऐसे तथ्यों व परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार प्रेक्षित किया:

“21. प्रतिवादियों की ओर से उठाया गया मुख्य विवाद यह है कि अभियोक्त्री ने तथ्य के भ्रम के अंतर्गत यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी, क्योंकि अभियुक्त ने उससे विवाह का झूठा वादा किया था और बाद में उसने विवाह नहीं किया, और इसलिए ऐसी सहमति विधि की दृष्टि में कोई सहमति नहीं थी और यह मामला धारा 375 भा.दं.सं. के खंड द्वितीय के अंतर्गत आता है। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि झूठा वादा देने और अभियुक्त द्वारा वादे का उल्लंघन किए जाने में अंतर है। झूठे वादे के मामले में, अभियुक्त का आरंभ से ही अभियोक्त्री से विवाह करने का कोई आशय नहीं होता और वह केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने के उद्देश्य से विवाह का झूठा वादा देकर अभियोक्त्री को छल या धोखा देता है, जबकि वादे के उल्लंघन के मामले में, इस संभावना से इनकार

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त ने पूरी गंभीरता के साथ उससे विवाह करने का वादा किया हो, और बाद में उसे कुछ ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो, जिसने उसे अपना वादा पूरा करने से रोक दिया। अतः, विवाह के प्रत्येक उल्लंघन को झूठा वादा मानकर धारा 376 के अंतर्गत अपराध हेतु किसी व्यक्ति पर अभियोजन चलाना भूल होगी। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, प्रत्येक मामला न्यायालय के समक्ष सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करेगा।

22. वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री जो स्वयं तीन बच्चों वाली एक विवाहित महिला थी, के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध बनाने की सहमति देते समय अपीलकर्ता द्वारा दिए गए कथित झूठे वादे के अंतर्गत या तथ्य के भ्रम के अंतर्गत कार्य किया था। निर्विवाद रूप से, वह उसके साथ इस प्रकार का संबंध कम से कम लगभग पाँच वर्षों तक बनाए रखी, जब तक कि उसने वर्ष 2015 में शिकायत नहीं दी। यदि न्यायालय के समक्ष उसकी गवाही में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर भी लिया जाए, तो भी ऐसे आरोपों को अपीलकर्ता द्वारा "बलात्संग" के रूप में समझना मामले को अत्यधिक खींचना होगा। अभियोक्त्री, एक विवाहित महिला और तीन बच्चों की माँ होने के नाते, उस कृत्य की नैतिक या अनैतिक गुणवत्ता के महत्व और परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व और बुद्धिमान थी, जिसके लिए वह सहमति दे रही थी। अन्यथा भी, यदि अभियुक्त के साथ ऐसे संबंध के दौरान उसके संपूर्ण आचरण को बारीकी से देखा जाए, तो यह प्रतीत होता है कि उसने अभियुक्त के साथ संबंध बनाकर अपने पति और तीन बच्चों के साथ विश्वासघात किया, जिसके प्रति उसमें लगाव उत्पन्न हो गया था। वह अपने पति के साथ अपने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विवाह के अस्तित्व में रहते हुए ही, अभियुक्त के साथ बेहतर जीवन जीने के लिए उसके साथ रहने चली गई थी। जब तक वर्ष 2011 में अभियुक्त द्वारा उसे गर्भवती नहीं किया गया, और उसने अभियुक्त के वंश से एक पुत्र को जन्म नहीं दिया, तब तक उसे अभियुक्त के विरुद्ध उसके द्वारा विवाह का झूठा वादा दिए जाने या उसे धोखा दिए जाने की कोई शिकायत नहीं थी। उसने वर्ष 2012 में अभियुक्त के मूल निवास स्थान का दौरा भी किया और यह जान लिया कि वह एक विवाहित पुरुष है जिसके बच्चे भी हैं, फिर भी वह बिना किसी शिकायत के अभियुक्त के साथ किसी अन्य परिसर में रहती रही। उसने अपने तीन बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर 2014 में आपसी सहमति से अपने पति से तलाक भी ले लिया। यह केवल वर्ष 2015 में था, जब उनके बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए होंगे, कि उसने वर्तमान शिकायत दर्ज कराई। अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज अपने अतिरिक्त बयान में कहा था कि उसने शिकायत इसलिए दर्ज कराई क्योंकि उसने उसे भारी राशि देने की उसकी मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया था। अतः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोक्त्री ने तथ्य के भ्रम के अंतर्गत अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी, ताकि अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अर्थ के अंतर्गत बलात्संग करने का दोषी ठहराया जा सके।”

29. प्रमोद कुमार नवरत्ना बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य, 2026 SCC OnLine SC 154 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि न्यायालयों को धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं. के अधीन दाखिल वास्तविक मामलों की पहचान करने में, उक्त अपराध गठित करने हेतु आवश्यक तत्वों की पहचान करते हुए,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अत्यंत सावधान व सतर्क रहना होगा। ऐसे वास्तविक मामलों को उन विवादों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए जो सहमति से बने वयस्कों के मध्य संबंधों से उत्पन्न होते हैं जो विवाद व असहमति अथवा मन में भावी परिवर्तन के कारण खड़े हो जाते हैं। **प्रमोद कुमार नवरत्ना (उपरोक्त)** के प्रासंगिक प्रस्तर उद्धृत हैं:—

“18. इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर यह विनिश्चित किया गया है कि केवल इस तथ्य से कि पक्षकारों ने विवाह के वादे के अनुसरण में शारीरिक संबंध बनाए, प्रत्येक मामले में यह बलात्संग नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत अपराध केवल तभी बनता है, जब अभियुक्त द्वारा विवाह का वादा केवल यौन संबंधों हेतु सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो, बिना आरंभ से ही उक्त वादे को पूरा करने के किसी आशय के, और ऐसे विवाह के झूठे वादे का अभियोक्त्री द्वारा यौन संबंधों के लिए अपनी सहमति देने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा हो। विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और प्राथमिकी की जाँच करने के पश्चात, उच्च न्यायालय का प्राथमिकी संख्या 213/2025 दिनांक 06.02.2025 तथा आरोप-पत्र संख्या 269/2025 से उत्पन्न होने वाली अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करना सही था।

22. न्यायालयों को धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं. के अधीन दर्ज वास्तविक मामलों की पहचान करने में, उस अपराध को गठित करने वाले आवश्यक तत्वों की पहचान करते हुए, अत्यंत सावधान और सतर्क रहना होगा, अर्थात् अभियुक्त द्वारा विवाह का वादा केवल यौन संबंधों हेतु सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो और आरंभ से ही उक्त वादे को पूरा करने का कोई आशय न हो, तथा ऐसे विवाह के झूठे वादे का अभियोक्त्री द्वारा यौन संबंधों के लिए अपनी सहमति देने पर प्रत्यक्ष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रभाव पड़ा हो। ऐसे वास्तविक मामले जो अभियुक्त के अभियोजन के योग्य हैं, उन्हें उन वादों से स्पष्ट रूप से पृथक किया जाना चाहिए जो सहमति देने वाले वयस्कों के बीच सहमतिपूर्ण संबंधों से उत्पन्न होकर विवाद और असहमति या भविष्य में मन बदलने के कारण कटु हो जाते हैं। विधि की उपर्युक्त सुस्थापित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 1-राज्य और शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 3 यह दर्शाने हेतु कोई सामग्री अभिलेख पर रखने में विफल रहे हैं कि किस प्रकार अभियुक्त-अपीलकर्ता ने बाद की मुलाकातों में शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 3 को विवाह के झूठे बहाने से उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाने हेतु फुसलाया और छला, यह देखते हुए कि आरंभिक मुलाकातों के भीतर ही, दोनों पक्ष पीड़िता की वैवाहिक स्थिति के बारे में जानते थे और इसलिए, किसी भी कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 3 की सहमति अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा किए गए कपट और मिथ्या निरूपण से दूषित हुई थी या प्राप्त की गई थी।”

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रविश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य, 2025 SCC OnLine SC

1055 में यह प्रेक्षण किया है कि यदि दो सक्षम-मस्तिष्क वयस्कों ने दीर्घकालिक शारीरिक संबंध बनाए रखा, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उन्होंने स्वेच्छा से सहमति-आधारित संबंध चुना है तथा विवाह के वादे की परवर्ती अपूर्ति किसी अपराध को आकर्षित नहीं करेगी। रविश सिंह राणा (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर उद्धृत हैं:-

“10. तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता और द्वितीय प्रतिवादी (सूचनाकर्ता) के बीच संबंध वर्ष 2021 से रहा है। यह संबंध केवल एक-दूसरे को जानने भर का नहीं था, अपितु एक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किराए के आवास में एक ही छत के नीचे एक जोड़े के रूप में साथ रहने का भी था। प्राथमिकी में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि शारीरिक संबंध केवल इसलिए स्थापित हुआ क्योंकि विवाह का वादा किया गया था। इसके अतिरिक्त, शारीरिक संबंध बीच में बिना किसी शिकायत के दो वर्षों से अधिक समय तक जारी रहा। ऐसी परिस्थितियों में, दो वर्षों से अधिक समय तक फैले शारीरिक संबंध को आरंभ करने और बनाए रखने हेतु वैध सहमति होने की एक उपधारणा उत्पन्न होगी।

14. वर्तमान मामले में भी, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता और द्वितीय प्रतिवादी (सूचनाकर्ता) के बीच संबंध दो वर्षों तक चला था। इसके अतिरिक्त, वे न केवल एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध रखने को स्वीकार करते हैं, अपितु एक लिव-इन जोड़े के रूप में एक किराए के आवास में साथ रहने को भी स्वीकार करते हैं। हमारे विचार में, यदि दो समझदार वयस्क एक लिव-इन जोड़े के रूप में दो वर्षों से अधिक समय तक साथ रहते हैं और एक-दूसरे के साथ सहवास करते हैं, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उन्होंने इस प्रकार के संबंध को इसके परिणामों से पूर्णतः अवगत रहते हुए स्वेच्छा से चुना। अतः, यह आरोप कि ऐसा संबंध विवाह के वादे के कारण आरंभ किया गया था, इन परिस्थितियों में स्वीकार्य योग्य नहीं है, विशेष रूप से तब जब यह आरोप नहीं है कि यदि विवाह का वादा न किया गया होता तो ऐसा शारीरिक संबंध स्थापित ही नहीं होता।

15. इसके अतिरिक्त, एक दीर्घकालिक लिव-इन संबंध में, ऐसे अवसर आ सकते हैं जब उस संबंध में पक्षकार विवाह की मुहर द्वारा उसे औपचारिक रूप देने की अपनी इच्छा या चाह व्यक्त करते हैं, परंतु इच्छा या चाह की वह अभिव्यक्ति, स्वयं में, यह इंगित नहीं करेगी कि संबंध उस इच्छा या चाह की अभिव्यक्ति का परिणाम था। एक या दो दशक पूर्व, लिव-इन संबंध सामान्य नहीं रहे होंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



परंतु अब अधिकाधिक महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर निर्धारित करने का सचेत निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। इस आर्थिक स्वतंत्रता ने, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे लिव-इन संबंधों के प्रसार को जन्म दिया है। अतः, जब इस प्रकृति का कोई मामला न्यायालय के समक्ष आता है, तो उसे रूढ़िवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, अपितु न्यायालय, ऐसे संबंध की अवधि और पक्षकारों के आचरण के आधार पर, पक्षकारों की उस संबंध में रहने की विवक्षित सहमति की उपधारणा कर सकता है, चाहे उसे वैवाहिक बंधन में परिवर्तित करने की उनकी इच्छा या चाह कुछ भी रही हो।”

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य व एक अन्य, (2019) 9

Supreme Court Cases 608 में धारित किया है कि जहां विवाह का वादा गलत है तथा वादा करने वाले का आशय, वादा करते समय, स्वयं उसका पालन करने का नहीं था, बल्कि महिला को धोखा देने का था ताकि उसे यौन संबंधों में संलग्न होने हेतु राजी किया जा सके, वहां एक "तथ्य की भ्रांति" है जो महिला की "सहमति" को दूषित करती है। तथापि, वादे के मात्र उल्लंघन को गलत वादा नहीं कहा जा सकता। अतः, एक गलत वादे को स्थापित करने हेतु, यह दर्शाया जाना होगा कि वादा करने वाले का, वादा करते समय, अपने वचन को कायम रखने का कोई आशय नहीं था। प्रमोद सूर्यभान पवार (उपरोक्त) का प्रासंगिक प्रस्तर उद्धृत है:—

“16. जहाँ विवाह का वादा झूठा है और वादा करने वाले का, वादा करते समय ही, आशय उसका पालन करने का नहीं अपितु महिला को छलकर यौन संबंध के लिए राजी करने का था, वहाँ "तथ्य का भ्रम" विद्यमान है जो महिला की "सहमति" को दूषित करता है। दूसरी ओर, वादे के उल्लंघन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को झूठा वादा नहीं कहा जा सकता। झूठा वादा सिद्ध करने के लिए, वादा करने वाले का, वादा देते समय, अपने वचन का पालन करने का कोई आशय नहीं होना चाहिए। धारा 375 के अंतर्गत महिला की "सहमति" "तथ्य के भ्रम" के आधार पर तभी दूषित होती है जहाँ ऐसा भ्रम उसके उक्त कृत्य में संलग्न होने के चुनाव का आधार रहा हो। दीपक गुलाटी मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था:

"21. वादे के मात्र उल्लंघन और झूठे वादे को पूरा न करने में अंतर है। अतः, न्यायालय को यह परीक्षण करना चाहिए कि क्या अभियुक्त द्वारा आरंभिक चरण में विवाह का कोई झूठा वादा किया गया था; और क्या दी गई सहमति यौन संसर्ग की प्रकृति और परिणामों को पूर्णतः समझने के पश्चात दी गई थी। ऐसा मामला हो सकता है जहाँ अभियोक्त्री अभियुक्त के प्रति अपने प्रेम और आवेग के कारण यौन संभोग करने के लिए सहमत होती है, न कि केवल अभियुक्त द्वारा उससे किए गए मिथ्या निरूपण के कारण, अथवा जहाँ अभियुक्त ऐसी परिस्थितियों के कारण, जिनका वह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था, या जो उसके नियंत्रण से परे थीं, उससे विवाह करने में असमर्थ रहा हो, यद्यपि उसका ऐसा करने का पूर्ण आशय था। ऐसे मामलों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिए।

.....

24. अतः, यह स्पष्ट है कि यह दर्शाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए कि प्रासंगिक समय पर अर्थात् आरंभिक चरण में ही, अभियुक्त का पीड़िता से विवाह करने के अपने वादे को निभाने का कोई आशय नहीं था। निश्चित रूप से, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जब सर्वोत्तम

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आशय रखने वाला व्यक्ति विभिन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीड़िता से विवाह करने में असमर्थ हो। किसी भविष्य की अनिश्चित तिथि के संबंध में किए गए वादे को पूरा न करना, ऐसे कारणों से जो उपलब्ध साक्ष्य से बहुत स्पष्ट नहीं हैं, सदैव तथ्य के भ्रम की कोटि में नहीं आता। "तथ्य के भ्रम" शब्द के अर्थ में आने के लिए, तथ्य की तात्कालिक प्रासंगिकता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में धारा 90 भा.दं.सं. को यह सहायता प्राप्त करने हेतु आह्वान नहीं किया जा सकता कि लड़की के कृत्य को पूर्णतः क्षमा कर दिया जाए और दूसरे पर आपराधिक दायित्व मढ़ दिया जाए, जब तक कि न्यायालय इस तथ्य से आश्चस्त न हो कि आरंभ से ही, अभियुक्त का उससे विवाह करने का वास्तव में कभी कोई आशय नहीं था।"

(महत्व प्रदत्त)

32. **उदय बनाम कर्नाटक राज्य, (2003) 4 SCC 46** में, परिवादिनी एक कॉलेज जाने वाली लड़की थी जब अभियुक्त ने उससे विवाह का वादा किया। पीड़िता जानती थी कि प्रस्तावित विवाह हेतु दोनों परिवारों से महत्वपूर्ण विरोध होगा। इसके बावजूद उसने अभियुक्त के साथ यौन संभोग किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेक्षित किया कि इन परिस्थितियों में, अभियुक्त द्वारा पीड़िता से विवाह का वादा, परिवादिनी के अभियुक्त के साथ यौन संभोग में संलग्न होने के निर्णय हेतु तात्कालिक प्रासंगिकता का नहीं था, जो अन्य कारकों से प्रेरित था। **उदय (उपरोक्त)** का प्रासंगिक प्रस्तर उद्धृत है:-

"25. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के समक्ष एक और कठिनाई है। इस प्रकृति के मामले में, धारा 90 भा.दं.सं. के प्रयोग हेतु दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। प्रथम, यह दर्शाया जाना

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चाहिए कि सहमति तथ्य के भ्रम के अंतर्गत दी गई थी। द्वितीय, यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि सहमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह ज्ञात था, या यह विश्वास करने का कारण था, कि सहमति ऐसे भ्रम के परिणामस्वरूप दी गई थी। हमें गंभीर संदेह है कि विवाह के वादे ने अभियोक्त्री को अपीलकर्ता के साथ यौन संभोग करने हेतु सहमति देने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि हमने पूर्व में अभिनिर्धारित किया है, वह यह जानती थी कि जाति संबंधी विचारों के कारण अपीलकर्ता से उसका विवाह कठिन था। इस प्रस्ताव को दोनों परिवारों के सदस्यों की ओर से कठोर विरोध का सामना करना निश्चित था। अतः, यह एक स्पष्ट संभावना थी, जिसके प्रति वह पूर्णतः सचेत थी, कि अपीलकर्ता के वादे के बावजूद विवाह हो ही न पाए। प्रश्न फिर भी यह बना रहता है कि क्या फिर भी, अपीलकर्ता को यह ज्ञात था, या यह विश्वास करने का कारण था, कि अभियोक्त्री ने उसके साथ यौन संभोग के लिए सहमति केवल अपने इस विश्वास के परिणामस्वरूप दी थी, जो उसके वादे पर आधारित था, कि वे यथासमय विवाह कर लेंगे। इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु शायद ही कोई साक्ष्य विद्यमान है। इसके विपरीत, मामले की परिस्थितियाँ इस निष्कर्ष का समर्थन करती प्रतीत होती हैं कि अपीलकर्ता के पास यह विश्वास करने का कारण था कि अभियोक्त्री द्वारा दी गई सहमति उनके एक-दूसरे के प्रति गहरे प्रेम का परिणाम थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि वे गहरे प्रेम में थे। वे अक्सर मिलते थे, और यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री ने उसे ऐसी स्वतंत्रताएँ दी थीं, जो, यदि दी भी जाती हैं, तो केवल उस व्यक्ति को दी जाती हैं जिसके साथ कोई गहरे प्रेम में हो। यह भी बिना महत्व के नहीं है कि अभियोक्त्री चोरी-छिपे अपीलकर्ता के साथ रात्रि 12 बजे एक सुनसान स्थान पर गई थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ऐसे मामलों में प्रायः ऐसा होता है, जब दो युवा व्यक्ति गहन प्रेम में होते हैं, कि वे एक-दूसरे से कई बार यह वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे विवाह अवश्य करेंगे..... "

(महत्व प्रदत्त)

33. सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य, (2021) 18 SCC 517 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्र.सू.रि. तथा कार्यवाही को इस बात को नोट करने पर निरस्त किया कि अभियुक्त तथा पीड़िता के मध्य संबंध सहमति-आधारित प्रकृति का था तथा पक्षकार डेढ़ वर्ष की अवधि हेतु संबंध में थे, तथा तत्पश्चात अभियुक्त ने अभियोक्त्री से विवाह करने की अनिच्छा व्यक्त की जिसके कारण प्र.सू.रि. का पंजीकरण हुआ।

34. दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 7 SCC 675 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार धारित किया है:

"21.वादे के मात्र उल्लंघन और झूठे वादे को पूरा न करने में अंतर है। अतः, न्यायालय को यह परीक्षण करना चाहिए कि क्या अभियुक्त द्वारा आरंभिक चरण में विवाह का कोई झूठा वादा किया गया था; और क्या दी गई सहमति यौन संसर्ग की प्रकृति और परिणामों को पूर्णतः समझने के पश्चात दी गई थी। ऐसा मामला हो सकता है जहाँ अभियोक्त्री अभियुक्त के प्रति अपने प्रेम और आवेग के कारण यौन संभोग करने के लिए सहमत होती है, न कि केवल अभियुक्त द्वारा उससे किए गए मिथ्या निरूपण के कारण, अथवा जहाँ अभियुक्त ऐसी परिस्थितियों के कारण, जिनका वह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था, या जो उसके नियंत्रण से परे थीं, उससे विवाह करने में असमर्थ रहा हो, यद्यपि उसका ऐसा करने का पूर्ण आशय था। ऐसे मामलों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिए.....।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



.....

24. अतः, यह स्पष्ट है कि यह दर्शाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए कि प्रासंगिक समय पर अर्थात् आरंभिक चरण में ही, अभियुक्त का पीड़िता से विवाह करने के अपने वादे को निभाने का कोई आशय नहीं था। निश्चित रूप से, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जब सर्वोत्तम आशय रखने वाला व्यक्ति विभिन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीड़िता से विवाह करने में असमर्थ हो। किसी भविष्य की अनिश्चित तिथि के संबंध में किए गए वादे को पूरा न करना, ऐसे कारणों से जो उपलब्ध साक्ष्य से बहुत स्पष्ट नहीं हैं, सदैव तथ्य के भ्रम की कोटि में नहीं आता। "तथ्य के भ्रम" शब्द के अर्थ में आने के लिए, तथ्य की तात्कालिक प्रासंगिकता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में धारा 90 भा.दं.सं. को यह सहायता प्राप्त करने हेतु आह्वान नहीं किया जा सकता कि लड़की के कृत्य को पूर्णतः क्षमा कर दिया जाए और दूसरे पर आपराधिक दायित्व मढ़ दिया जाए, जब तक कि न्यायालय इस तथ्य से आश्चस्त न हो कि आरंभ से ही, अभियुक्त का उससे विवाह करने का वास्तव में कभी कोई आशय नहीं था।

35. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिलीप सिंह बनाम बिहार राज्य, (2005) 1 SCC 88 में अभियुक्त को दोषमुक्त किया तथा उसकी दोषसिद्धि को अपास्त करते हुए धारित किया कि जबकि विवाह के वादे का उल्लंघन हुआ, यह विवाह का गलत वादा नहीं था। प्रासंगिक अंश पूर्ववत् उद्धृत है:-

"35. शेष प्रश्न यह है कि क्या अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, यह युक्तियुक्त रूप से यह अभिनिर्धारित करना संभव है कि अभियुक्त ने उसे यौन संभोग हेतु प्रेरित करने के कपटपूर्ण आशय से विवाह का झूठा वादा किया था। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त ने उससे विवाह करने का वादा किया था और यही पीड़ित लड़की के उसके साथ यौन घनिष्ठता के लिए सहमत होने का

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रमुख कारण था। अभियोक्त्री-साक्षी संख्या 12 भी उससे विवाह करने के लिए अत्यंत उत्सुक थी, जैसा कि उसने विशेष रूप से कहा। परंतु हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जो युक्तियुक्त संदेह से परे यह निष्कर्ष निकालने का आधार दे कि अभियुक्त का आरंभ से ही उससे विवाह करने का कोई आशय नहीं था और उसके द्वारा किया गया वादा उसके ज्ञान में झूठा था। अभियोजन साक्ष्य से उत्पन्न होने वाली कोई परिस्थिति इस तथ्य को स्थापित नहीं करती। दूसरी ओर, अभियोक्त्री-साक्षी संख्या 12 का यह कथन कि बाद में, अभियुक्त उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया था परंतु उसके पिता और अन्य लोग उसे गाँव से ले गए, यह इंगित करता है कि अभियुक्त संभवतः विवाह करने के वास्तविक आशय से प्रेरित रहा हो, जो उसके परिवार के बुजुर्गों द्वारा डाले गए दबाव के कारण साकार नहीं हो सका। यह विवाह के वादे के उल्लंघन का मामला प्रतीत होता है, न कि विवाह के झूठे वादे का मामला। इस पहलू पर भी, उदय के मामले [(2003) 4 SCC 46 : 2003 SCC (Cri) 775 : (2003) 2 SCALE 329] के प्रस्तर 24 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ अपीलकर्ता की सहायता करती हैं।

(बल दिया गया)“

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य, 2025 SCC OnLine SC 363 में धारित किया कि पीड़िता तथा अभियुक्त तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम थे तथा उनके प्रारंभिक शारीरिक संबंध सहमति-आधारित प्रकृति के थे जो पारस्परिक आकर्षण के आधार पर विकसित हुए थे तथा अतः, यह विवाह के वादे से प्रवाहित होने वाले संबंध के दायरे में नहीं आ सकता। उपर्युक्त मामले में, धारा 376, 323, 504 व 506 भा.दं.सं. तथा अनुसूचित जाति/जनजाति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(5क) व 3(2)(वी) के अधीन कार्यवाही को इस आधार पर निरस्त किया गया कि सहमति-आधारित संबंध कुछ मध्यवर्ती घटनाओं के कारण खट्टा हो गया है। **मनीष यादव (उपरोक्त)** के प्रासंगिक प्रस्तर उद्धृत हैं:-

“14. हमारे विचार में, यह स्पष्ट रूप से विदित है कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता दोनों वयस्क थे और इस प्रकार, दोनों ही युक्तियुक्त निर्णय लेने में सक्षम थे। शिकायतकर्ता के कथन (उपर्युक्त) के अनुसार, उनके आरंभिक शारीरिक संबंध सहमतिपूर्ण प्रकृति के थे, और अपीलकर्ता की ओर से विवाह का कोई वादा दिए बिना ही थे। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि आरंभ में शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच संबंध पारस्परिक आकर्षण और स्नेह के आधार पर विकसित हुआ था, तथापि इसे किसी भी कल्पना से विवाह के वादे से उत्पन्न होने वाले संबंध की परिधि में नहीं रखा जा सकता।

18. उपर्युक्त सिद्धांत को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए, यह स्पष्ट रूप से विदित है कि वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता अपीलकर्ता के साथ अंतरंग संबंध में संलग्न होने के लिए अपनी ही इच्छा से सहमत हुई थी, न कि अपीलकर्ता द्वारा किए गए विवाह के किसी झूठे वादे के आधार पर। अतः, यद्यपि वर्तमान मामले में वादे का उल्लंघन शामिल हो सकता है, तथापि यह विवाह के अंतर्निहित रूप से झूठे वादे का मामला गठित नहीं करता। परिस्थितियों के आधार पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपीलकर्ता ने विवाह के झूठे वादे के बहाने शिकायतकर्ता की शारीरिक संबंध बनाने हेतु सहमति प्राप्त की थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20. अतः, आरोप-पत्र में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत यह सिद्धांत कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को विवाह के झूठे वादे के अंतर्गत शारीरिक संबंध में संलग्न होने के लिए प्रेरित किया, अभिलेख पर उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य, जो कि धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज शिकायतकर्ता के कथन के रूप में है, द्वारा न तो पुष्ट होता है और न ही स्थापित होता है।

22. उपर्युक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए, हमारा यह विचार है कि वर्तमान मामला ऐसा प्रतीत होता है जहाँ दो वयस्कों के बीच का एक सहमतिपूर्ण शारीरिक संबंध कुछ मध्यवर्ती घटनाओं के कारण बिगड़ गया है। अतः, उपर्युक्त अपराधों के लिए अपीलकर्ता के अभियोजन की अनुमति देना विधि की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के अतिरिक्त कुछ और नहीं होगा।”

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कुणाल चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य, 2025 7 सुप्रीम 489**

में उन अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त की जहाँ पीड़िता ने स्वयं को एक नाबालिग लड़की होने का दावा किया तथा प्र.सू.रि. उसके द्वारा वयस्क होने पर दर्ज कराई गई। यह धारित किया गया कि विवाह का वादा तथा तत्पश्चात दोनों के मध्य सहमति के साथ शारीरिक संबंध बलात्संग नहीं होगा। कुणाल चटर्जी (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर उद्धृत हैं:-

“7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने 'बलात्संग' की परिभाषा पर भरोसा किया है और यह तर्क दिया है कि नाबालिग द्वारा दी गई सहमति कोई सहमति नहीं है और यह फिर भी बलात्संग ही होगा। हमारे सुविचारित मत में, जहाँ तक अभियोक्त्री के नाबालिग होने के समय अपीलकर्ता द्वारा बलात्संग किए जाने का प्रश्न है, इसका बिल्कुल कोई साक्ष्य नहीं है, और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के पास कोई फोरेंसिक साक्ष्य भी नहीं है। यह 03 वर्षों से अधिक समय पश्चात प्राथमिकी में केवल एक आरोप है, ताकि पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत यह मामला बनाया जा सके कि बलात्संग का ऐसा कृत्य तीन वर्ष पूर्व किया गया था जब वह नाबालिग थी। वह यह भी स्पष्ट रूप से बताती है कि उसने उस कृत्य के लिए सहमति दी थी क्योंकि अपीलकर्ता की ओर से विवाह का वादा किया गया था।

8. इस न्यायालय ने कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि विवाह का वादा और उसके पश्चात दोनों के बीच सहमति से बना शारीरिक संबंध बलात्संग नहीं होगा और इसके कारण भी बताए गए हैं (देखें: प्रिथिविराजन बनाम राज्य 2025 SCC OnLine SC 696, प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 9 SCC 608, महेश्वर टिगा बनाम झारखंड राज्य, (2020) 10 SCC 108)।

9. मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति के अंतर्गत, विशेष रूप से प्राथमिकी दर्ज कराने में हुआ लंबा विलंब, यह स्वयं सुझाता है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध दर्ज वर्तमान आपराधिक कार्यवाहियाँ विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं और उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता के मामले में भी अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए था, जैसा कि उसने शेष अभियुक्तों के लिए कार्यवाही रद्द करते समय किया था।”

38. एक अन्य हालिया निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नितिन बी. निखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य व एक अन्य (एस.एल.पी. (क्रि.) संख्या 1889/2024 से उत्पन्न), दिनांक 21.01.2025 को निर्णीत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मामले में धारित किया है कि केवल इसलिए कि शारीरिक संबंध विवाह के वादे के अनुसरण में स्थापित किए गए थे, यह प्रत्येक मामले में बलात्संग के समान नहीं होगा जब तक कि यह सिद्ध न हो कि अभियुक्त द्वारा विवाह का वादा केवल यौन संबंधों हेतु सहमति प्राप्त करने के दृष्टिकोण से किया गया था, बिना प्रारंभ से ही उक्त वादे को पूरा करने के किसी आशय के। **नितिन बी. निखारे (उपरोक्त)** के प्रासंगिक प्रस्तर उद्धृत हैं:-

“5. दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियोक्त्री ने अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध केवल इस कारण से बनाया कि उसने उससे विवाह करने का वादा किया था और यह संबंध कुछ समय तक जारी रहा तथा विवाह का वादा पूरा न होने पर टूट गया। दूसरे शब्दों में, अभियोक्त्री का मुख्य आरोप यह है कि यदि अपीलकर्ता द्वारा विवाह का वादा नहीं किया गया होता तो वह उसके साथ कभी भी शारीरिक संबंध में नहीं आती और यह मानते हुए कि यह छल द्वारा किया गया था, यह बलात्संग के तुल्य है।

6. इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल इस तथ्य से कि विवाह के वादे के अनुसरण में शारीरिक संबंध स्थापित किए गए, प्रत्येक मामले में यह बलात्संग नहीं होगा। बलात्संग के अपराध को गठित करने के लिए, दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, अर्थात् यह कि अभियुक्त द्वारा विवाह का वादा केवल यौन संबंधों हेतु सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो, बिना प्रारंभ से ही उक्त वादे को पूरा करने के किसी आशय के, और यह कि विवाह के झूठे वादे का अभियोक्त्री द्वारा यौन संबंधों के लिए अपनी सहमति देने पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा हो। [देखें: प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2019) 9

SCC 608; महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2024 SCC OnLine SC 347]

7. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह आरंभ से ही एक सहमतिपूर्ण संबंध का मामला था। यदि अभियोक्त्री के मामले को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी यह प्रतीत नहीं होता कि विवाह का आरंभिक वादा दुर्भाविना से किया गया था। यह केवल पश्चात्तवर्ती परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने विवाह के कथित झूठे वादे को पूरा किए जाने से रोका। परिणामस्वरूप, संबंध बिगड़ गया जिसने वर्तमान प्राथमिकी को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए, हमें यह ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता जहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान आकर्षित हो सकें।”

39. इसके अतिरिक्त, ध्रुवाराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 18 SCC 191 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार धारित किया है:

“23. अतः, बलात्संग और सहमति से बने यौन संबंध के बीच एक स्पष्ट अंतर है। न्यायालय को, ऐसे मामलों में, यह अत्यंत सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता वास्तव में पीड़िता से विवाह करना चाहता था अथवा उसका दुर्भाविनापूर्ण उद्देश्य था और उसने केवल अपनी वासना संतुष्ट करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि उत्तरार्द्ध छल या प्रवंचना की परिधि में आता है। वादे के मात्र उल्लंघन और झूठे वादे को पूरा न करने में भी एक अंतर है। यदि अभियुक्त ने अभियोक्त्री को यौन कृत्यों में संलग्न होने हेतु फुसलाने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के एकमात्र आशय से वादा नहीं किया है, तो ऐसा कृत्य बलात्संग नहीं होगा। ऐसा मामला हो सकता है जहाँ अभियोक्त्री अभियुक्त के प्रति अपने प्रेम और आवेग के कारण यौन संभोग करने के लिए सहमत होती है, न कि केवल अभियुक्त द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम के कारण, अथवा जहाँ अभियुक्त, ऐसी परिस्थितियों के कारण जिनका वह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था या जो उसके नियंत्रण से परे थीं, उससे विवाह करने में असमर्थ रहा हो, यद्यपि उसका ऐसा करने का पूर्ण आशय था। ऐसे मामलों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि शिकायतकर्ता का कोई दुर्भावनापूर्ण आशय था और यदि उसके गुप्त उद्देश्य थे, तो यह स्पष्ट रूप से बलात्संग का मामला है। पक्षकारों के बीच स्वीकृत सहमतिपूर्ण शारीरिक संबंध धारा 376 भा.दं.सं. के अंतर्गत कोई अपराध गठित नहीं करेगा।”

(महत्व प्रदत्त)

40. महेश्वर टिगा बनाम झारखंड राज्य, (2020) 10 SCC 108 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि विवाह के वादे के संबंध में तथ्य की भ्रांति घटना के तात्कालिक समय में होनी चाहिए तथा इसे लंबी अवधि तक फैलाया नहीं जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार धारित किया:—

“13. हमारे विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या अभियोक्त्री ने अपीलकर्ता द्वारा विवाह के वादे के संबंध में किसी तथ्य के भ्रम के अंतर्गत शारीरिक संबंध के लिए सहमति दी थी अथवा उसकी सहमति विवाह के कपटपूर्ण मिथ्या निरूपण पर आधारित थी जिसे अपीलकर्ता का संबंध के आरंभ से ही निभाने का कोई आशय नहीं था। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसने आरंभ से ही जानबूझकर एक कपटपूर्ण मिथ्या निरूपण किया और अभियोक्त्री ने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तथ्य के भ्रम में अपनी सहमति दी, तो धारा 375 भा.दं.सं. के अंतर्गत बलात्संग का अपराध स्पष्ट रूप से बनता है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति में यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता ने आरंभ में उसे किसी प्रकार के भय में डालकर उसकी सहमति प्राप्त की थी। धारा 90 भा.दं.सं. के अंतर्गत, क्षति के भय के अंतर्गत दी गई सहमति विधि की दृष्टि में सहमति नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम अभियोक्त्री के इस एकाकी कथन को स्वीकार करने हेतु राजी नहीं हैं कि प्रथम कथित अपराध के समय उसकी सहमति क्षति के भय के अंतर्गत प्राप्त की गई थी।

14. धारा 90 भा.दं.सं. के अंतर्गत, तथ्य के भ्रम के अंतर्गत दी गई सहमति विधि की दृष्टि में कोई सहमति नहीं है। परंतु तथ्य का भ्रम घटना के समय के निकट होना चाहिए और इसे चार वर्षों की अवधि में फैला हुआ नहीं माना जा सकता। इसमें अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है कि अपीलकर्ता के प्रति सहमति उसके द्वारा उचित विचार-विमर्श के पश्चात लिया गया एक सचेत और सुविज्ञ चुनाव था, यह देखते हुए कि यह एक लंबी अवधि में फैला हुआ था, साथ ही विरोध न करने की एक सचेत सकारात्मक कार्रवाई भी थी। अभियोक्त्री ने अपीलकर्ता को लिखे अपने पत्रों में यह भी उल्लेख किया है कि इस संबंध को लेकर उसके घर में उसके परिवार के सदस्यों के साथ प्रायः झगड़े होते थे, और उसे पीटा भी जाता था।

.....

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. हमने वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अपना विचारपूर्ण ध्यान दिया है और हमारा सुविचारित मत है कि अपीलकर्ता ने पक्षकारों के बीच शारीरिक संबंध की स्थापना की ओर ले जाने वाला विवाह का कोई झूठा वादा या जानबूझकर मिथ्या निरूपण नहीं किया था। अभियोक्त्री स्वयं भिन्न धार्मिक विश्वासों के कारण उनके संबंध में आने वाली बाधाओं से अवगत थी। इस गंभीर विश्वास के साथ एक सगाई समारोह भी आयोजित किया गया था कि सामाजिक बाधाओं पर काबू पा लिया जाएगा, परंतु दुर्भाग्यवश इस बात पर भी मतभेद उत्पन्न हो गए कि विवाह चर्च में संपन्न किया जाए या मंदिर में और अंततः यह विफल हो गया। उपलब्ध साक्ष्य पर यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता का आरंभ से ही अभियोक्त्री से कभी विवाह करने का आशय नहीं था और उसने केवल उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए कपटपूर्वक मिथ्या निरूपण किया था। अभियोक्त्री ने अपने पत्रों में स्वीकार किया कि अपीलकर्ता का परिवार सदैव उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था।

(महत्व प्रदत्त)

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमल भगवान नेहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य, एस.एल.पी. (क्रि.) संख्या 10044/2024, दिनांक 26.05.2025 को निर्णीत हालिया निर्णय में, धारा 376, 376(2)(एन), 377, 504 व 506 भा.दं.सं. के अधीन दर्ज प्र.सू.रि. से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही निरस्त की, जिसमें पक्षकार 13 महीनों की अवधि तक बाहर मिलते रहे तथा यौन संभोग में संलग्न रहे। पीड़िता, एक 4 वर्षीय पुत्र की मां, उस मामले में एक विवाहित महिला थी, जिसने अभियुक्त के साथ यौन संबंध में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रवेश करते समय अपने पति से तलाक प्राप्त नहीं किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार प्रेक्षित किया:

“8. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, निम्नलिखित विशेषताएँ सामने आती हैं:

(क) यदि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को परिस्थितियों का सत्य और सही चित्रण भी मान लिया जाए, तो भी अभिलेख से यह प्रतीत नहीं होता कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति उसकी इच्छा के विरुद्ध और केवल विवाह के आश्वासन पर प्राप्त की गई थी। अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 08.06.2022 से एक-दूसरे को जानते थे, और वह स्वयं यह स्वीकार करती है कि वे अक्सर बातचीत करते थे और प्रेम में पड़ गए। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 ने यह आरोप लगाते हुए शारीरिक संबंध में प्रवेश किया कि अपीलकर्ता ने ऐसा उसकी सहमति के बिना किया था, तथापि उसने न केवल 12 महीनों से अधिक समय तक अपने संबंध को बनाए रखा, अपितु दो अलग-अलग अवसरों पर उससे मिलने लॉजों में जाना भी जारी रखा। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 का वृत्तांत उसके आचरण से मेल नहीं खाता।

(ख) धारा 90 भा.दं.सं. के अंतर्गत परिभाषित शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति के बारे में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह तथ्य के भ्रम के अंतर्गत प्राप्त की गई थी। अपीलकर्ता की ओर से, बिना उक्त वादे को पूरा करने के किसी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आशय के, यौन संबंधों हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए "प्रलोभन या मिथ्या निरूपण" को पुष्ट करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। जाँच से यह भी प्रकट हुआ है कि खुलानामा, दिनांक 29.12.2022 को निष्पादित किया गया था, जो शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने भूतपूर्व पति से प्राप्त किया था। इस समय के दौरान, पक्षकार पहले से ही एक संबंध में थे और कथित घटना पहले ही घटित हो चुकी थी। यह अकल्पनीय है कि शिकायतकर्ता ने विवाह के आश्वासन पर अपीलकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाया हो, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित थी। अन्यथा भी, आरंभ में ऐसा वादा अपीलकर्ता के संबंध में अवैध और अप्रवर्तनीय ही था।

(ग) शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 के प्रति किसी प्रकार के दबाव या क्षति की धमकी का कोई साक्ष्य भी नहीं है, जिससे धारा 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध आकर्षित हो। यह असंभाव्य है कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 को अपीलकर्ता द्वारा कोई धमकी दी गई हो जबकि पूरे समय संबंध सौहार्दपूर्ण रहा, और यह केवल तब हुआ जब अपीलकर्ता स्नातक होकर अपने गृहनगर अहमदनगर चला गया, कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 उद्वेलित हो गई। हम शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 के बिना किसी सूचना के अपीलकर्ता के मूल गाँव जाने के आचरण की भी अनदेखी नहीं कर सकते, जो कि अस्वीकार्य भी है और शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 की उद्वेलित और विचलित मनःस्थिति को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रतिबिंबित करता है। इसी कारण से, यहाँ अपीलकर्ता के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन संभवतः एक अंतर्निहित उद्देश्य और असंतुष्ट मनःस्थिति के साथ किया गया है।

(घ) इसकी भी कोई युक्तियुक्त संभावना नहीं है कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 या पहले से विवाहित और चार वर्ष के बच्चे वाली कोई भी महिला, अपीलकर्ता द्वारा निरंतर छली जाती रहती या उस व्यक्ति के साथ लंबे समय तक संबंध या शारीरिक संबंध बनाए रखती जिसने उसका यौन उत्पीड़न और शोषण किया हो।

9. हमारे सुविचारित मत में, यह भी ऐसा मामला नहीं है जहाँ आरंभ से ही विवाह का कोई झूठा वादा किया गया हो। एक सहमतिपूर्ण संबंध का बिगड़ जाना या साथियों का एक-दूसरे से दूर हो जाना, राज्य की आपराधिक व्यवस्था को गतिशील करने का आधार नहीं हो सकता। ऐसा आचरण न केवल न्यायालयों पर बोझ डालता है, अपितु ऐसे जघन्य अपराध का आरोपी बनाए गए किसी व्यक्ति की पहचान को भी दागदार करता है। इस न्यायालय ने समय-समय पर प्रावधानों के दुरुपयोग के विरुद्ध चेतावनी दी है, और विवाह के वादे के प्रत्येक उल्लंघन को झूठा वादा मानकर धारा 376 भा.दं.सं. के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर अभियोजन चलाने को भूल करार दिया है।”

42. अतः, उपर्युक्त निर्णयों से, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि यदि पक्षकार प्रारंभ से किसी छल के तत्व के बिना, दीर्घकालिक व निरंतर सहमति-आधारित शारीरिक संबंध में थे, तो ऐसा संबंध बलात्संग के समान नहीं होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



43. इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में मामलों में यह देखा है कि, एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है कि लंबे समय तक चलने वाले सहमति-आधारित संबंध, खट्टे होने पर, आपराधिक न्यायशास्त्र का आह्वान करके अपराधीकरण की कोशिश की गई है।
44. इस प्रकार, उपर्युक्त निर्णयों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि सहमति-आधारित यौन संभोग के प्रयोजन हेतु प्रत्येक विवाह का वादा भ्रांति के तथ्य के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि यह स्थापित न हो कि ऐसा विवाह का वादा, अभियुक्त की ओर से, ऐसे संबंध की शुरुआत से ही विवाह का गलत वादा था। जब तक यह अभिकथित न हो कि, ऐसे संबंध की शुरुआत से ही, ऐसा वादा करते समय अभियुक्त की ओर से कोई छल का तत्व था, इसे विवाह का गलत वादा नहीं माना जाएगा। एक बार सद्भावना में वादा किया गया तथा, तत्पश्चात परिस्थितियों में परिवर्तन के पश्चात जब पक्षकारों के मध्य संबंध विभिन्न अन्य कारणों से गलत हो गया, तो ऐसा वादे का उल्लंघन शारीरिक संबंध स्थापित करने हेतु सहमति के प्रयोजन हेतु भ्रांति के रूप में नहीं माना जाएगा। जब सक्षम आयु की एक महिला, विवाह के वादे के आधार पर वह जिन शारीरिक गतिविधियों में शामिल है, उनकी पर्याप्त समझ रखते हुए, ऐसे शारीरिक संबंध से जुड़े जोखिमों को समझती है, क्योंकि विवाह तथा विवाह के मात्र वादे के मध्य महत्वपूर्ण अंतर है।
45. वर्तमान मामले में, पीड़िता ने यह अभिकथित नहीं किया है कि आवेदक का शुरु से ही विवाह करने का कोई आशय नहीं था। अतः, बलात्संग का अपराध गठित करने वाले मूल तत्व नहीं बनते। वर्तमान मामले में अभिकथित विवाह का वादा, आवेदक के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने हेतु कोई प्रभाव नहीं रखता है। अभियोक्त्री वादे के उल्लंघन हेतु आवेदक को दोष नहीं दे सकती क्योंकि वादा स्वयं आवेदक तथा अभियोक्त्री के मध्य संबंध की शुरुआत के समय गैर-अस्तित्व में था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



46. इसी समय, यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि एक वयस्क, तथा विशेषतः एक शिक्षित व स्वतंत्र वयस्क जो स्वेच्छा से, स्वतंत्र व सचेत विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात, एक रोमांटिक संबंध में प्रवेश करता है, को ऐसे संबंधों से जुड़ी अंतर्निहित अनिश्चितताओं के प्रति सचेत होना चाहिए। यह न तो अनिवार्य है न ही सुनिश्चित है कि प्रत्येक रोमांटिक संबंध विवाह में परिणत होगा। संबंध विभिन्न व्यक्तिगत, व्यावहारिक अथवा परिस्थितिजन्य कारणों से समाप्त हो सकते हैं, जिसमें असंगति अथवा व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में परिवर्तन शामिल है।
47. जबकि कई व्यक्ति परिपक्वता के साथ संबंध के टूटने को स्वीकार करने में सक्षम हैं, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां भावनात्मक संकट, निराशा, अथवा आहत भावनाएं परवर्ती कार्यों को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थितियों में, कभी-कभी ऐसे आरोप उत्पन्न हो सकते हैं जो किसी आपराधिक अपराध के कारित होने की बजाय व्यक्तिगत शिकायत में अधिक निहित हैं। अतः न्यायालयों को ऐसे आरोपों की जांच करते समय, विशेषतः जहां अभिलेख पर सामग्री वयस्कों के मध्य सहमति-आधारित संबंध को प्रतिबिंबित करती है, सावधानी व विवेक का प्रयोग करना अपेक्षित है।
48. एक शिक्षित व स्वतंत्र वयस्क को, सहमति-आधारित संबंध में प्रवेश करते समय, यह भी पहचानना चाहिए कि विधि का आह्वान किसी संबंध की मात्र विफलता को अपराधीकृत करने हेतु नहीं किया जा सकता। किसी संबंध का विघटन, स्वयं में, आपराधिक दायित्व को जन्म नहीं देता। ऐसे मामलों को संवेदनशीलता, संयम, तथा दोनों संबंधित व्यक्तियों की स्वायत्तता व विकल्पों के प्रति उचित सम्मान के साथ संबोधित किया जाना चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



49. वर्तमान मामले के अभिलेख से, यह स्पष्ट है कि तीन वर्षों की लंबी अवधि के दौरान, पीड़िता आवेदक द्वारा उसे कारित अभिकथित यौन शोषण के बारे में पूर्णतः चुप रही, जब तक उसे पता नहीं चला कि आवेदक उसके पिता के विरोध के कारण उससे विवाह नहीं करने वाला था। इसके अतिरिक्त, यौन संभोग की पहली अभिकथित घटना, तथा तीन वर्षों तक जारी संबंध, प्र.सू.रि. दाखिल करने तक, के मध्य तीन वर्षों का लंबा अंतराल, इस न्यायालय को यह विश्वास दिलाता है कि यह एक प्रेम-प्रसंग के खट्टे होने का स्पष्ट मामला था। प्रतिशपथ पत्र के साथ संलग्न आवेदक तथा पीड़िता के फोटोग्राफ्स स्पष्ट करते हैं कि आवेदक तथा पीड़िता, सहमति-आधारित संबंध में थे।
50. उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में, यहां तक कि अभिलेख पर सामग्री के केवल पठन पर भी, यह प्रकट है कि पक्षकारों के मध्य संबंध, सहमति-आधारित था तथा अतः, आवेदक के विरुद्ध धारा 69, 351(3), 352 भा.न्या.सं. के अधीन अभियोजित करने हेतु कोई प्रथमदृष्ट्या अपराध नहीं बनता है। अतः, यह स्पष्ट है कि आवेदक बलात्संग के अपराध हेतु उत्तरदायी नहीं है यदि पीड़िता ने स्वेच्छा से यौन संबंध बनाए रखने पर सहमति दी है। वर्तमान प्र.सू.रि. अभियोक्त्री द्वारा दर्ज कराई गई थी क्योंकि वह आवेदक व उसके पिता के आचरण से नाराज थी तथा आवेदक को छोड़ने हेतु अनिच्छुक थी, अतः, दिनांक 09.11.2024 की परवर्ती घटना, जो पीड़िता ने अपने बयान में जोड़ी, उसके द्वारा केवल प्र.सू.रि. दर्ज कराने के प्रयोजन हेतु गढ़ी गई है। अभियोक्त्री का आचरण प्रथमदृष्ट्या इस आरोप का समर्थन नहीं करता कि शारीरिक संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध अथवा उसकी सहमति के बिना स्थापित किया गया था। स्वतंत्र साक्षियों ने बताया कि झगड़े, शारीरिक हमले अथवा गाली अथवा धमकी की कोई घटना कभी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं हुई। यह प्रतीत होता है कि प्र.सू.रि. पीड़िता द्वारा आवेदक से बदला लेने के प्रयोजन हेतु दर्ज कराई गई थी।

51. अतः, यह स्पष्ट है कि आवेदक बलात्संग के अपराध हेतु उत्तरदायी नहीं है, यदि पीड़िता ने तीन वर्षों की अवधि हेतु सहमति-आधारित संबंध बनाए रखने पर स्वेच्छा से सहमति दी है। गाली व धमकी के अन्य आरोपों का किसी भी सामग्री विशिष्टता द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। अतः, इस न्यायालय का अभिमत है कि वर्तमान मामले में, आवेदक के विरुद्ध बलात्संग का कोई अपराध नहीं बनता है तथा वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोक्त्री द्वारा दर्ज कराई गई थी क्योंकि वह आवेदक के आचरण से नाराज थी तथा उसे छोड़ने हेतु अनिच्छुक थी। पीड़िता के आचरण से यह प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा आवेदक से बदला लेने हेतु दर्ज कराई गई थी।

52. यहां चर्चा किए गए मामले के तथ्य, विधिक प्रस्तावों सहित, इस न्यायालय को यह पाता है कि वर्तमान मामला आपराधिक कार्यवाही निरस्त किए जाने हेतु अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के दुर्लभतम मामले के आधार पर खड़ा है, क्योंकि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना निष्फल होगा तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार का घोर दुरुपयोग होगा। वर्तमान मामला **भजन लाल (उपरोक्त)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहचाने गए दिशानिर्देशों (1), (5) व (7) में गणित श्रेणियों के अधीन पूर्णतः आता है। दिनांक 09.11.2024 की अभिकथित घटना (गाली व धमकी) के संबंध में अन्य आरोपों को किसी भी सामग्री विशिष्टता द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, अतः, धारा 528 के अधीन वर्तमान आवेदन में गुण-दोष है तथा यह स्वीकार किए जाने योग्य है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



53. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा मुकदमा अपराध संख्या 578/2024, धारा 69, 351(3), 352 भा.न्या.सं., थाना कल्याणपुर, जिला-कानपुर नगर में प्रस्तुत दिनांक 19.01.2025 के आरोप-पत्र से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, कानपुर नगर के न्यायालय में लंबित है, आवेदक के विरुद्ध एतद्वारा निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

25 जून, 2026

ए.पी. पांडेय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”